सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 588 **4 Bhadra, 1938 (S)**

Ranchi, Saturday, 26th August, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

26th AUGUST, 2017

NOTIFICATION No. -21/2017-State Tax (Rate)

S.O. 71 – Dated - 26th AUGUST, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Government of Jharkhand, No.12/2017- State Tax (Rate), dated 29thJune, 2017, published in the Jharkhand Gazette vide S.O. 42 dated 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) after serial number 9 and the entries relating there to, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.";

(b) after serial number11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11 A	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to Central Government by way of sale of wheat, rice and coarse grains under Public Distribution System(PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil
11B	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to State Governments or Union territories by way of sale of kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System(PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil";

(c) against serial number 35, in column (3),-

(A) in item (h), for the words "Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme", the words, brackets and letters "Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWCIS)", shall be substituted;

(B) in item (j), for the words “National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana)”, the words, brackets and letters “Pradhan Mantri Fasal BimaYojana (PMFBY)”, shall be substituted;

(ii) in paragraph 3,in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iii) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from 22nd August, 2017.

(File No.Va Kar/GST/4/2017)
By the Order of the Governor of Jharkhand,

Baijnath Ram,
Joint Secretary to the Government.

Note:-The principal notification was published in the Jharkhand Gazette, vide notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated 29th June, 2017, vide S.O. 42 dated 29th June, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त, 2017

अधिसूचना सं० 21/2017- राज्य कर (दर)

एस० ओ० - 71 दिनांक- 26 अगस्त, 2017-- झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण द्वारा एस० ओ० 42 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं० 12/2017- राज्य कर (दर) 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9क	अध्याय 99	फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एशोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफआईएफए यू-17 विश्व कप 2017, जोकि भारत में होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से संबंधित है।";

(ख) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“11क	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा।	शून्य	शून्य
11ख	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा।	शून्य	शून्य”;

(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (ज) में, “मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम” शब्दों के स्थान पर “पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)”, शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ञ) में, “राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)” शब्दों के स्थान पर “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)”, शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"(iii) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप'' को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा ।"

2. यह अधिसूचना 22 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से

बैजनाथ राम,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 12/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, एस० ओ० 42 तारीख 29 जून, 2017 झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 588-- 50.